न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 711–तीन/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–06–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 444/2007–08/अपील.

———

1. बलराम सिंह पुत्र मंगल सिंह धाकड़
2. जमुना देवी पत्नी बलराम सिंह धाकड़
निवासी ग्राम विनायक खेड़ी
तह. व जिला गुना म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– सीताराम पुत्र विश्वनाथ ताटके
2– सुभाष ताटके पुत्र राजाराम ताटके
3– अविनाश ताटके का बाड़ा सदर बाजार
गुना

——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपेयी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10–07–2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 444/2007–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–06–2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई ।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक बलराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता क धारा 131 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम विनायक खेडत्री की भूमि सर्वे नं. 79, 74, 75, 76/190/77 पर आने जान के लिए संवत 2017 के नक्शे के आधार पर रास्ता दिए जाने की मांग की गए । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उक्त आवेदन आदेश दिनांक 28–2–07 द्वारा निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 31.3.08 द्वारा

निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4– अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण रास्ते के संबंध में है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने विधिवत जांच कराके प्रतिवेदन बुलाया गया है और आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया गया है । जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि तहसीलदार के द्वारा स्वयं दिनांक 20.1.07 को स्थल निरीक्षण किया गया, मौके पर कथन लिया जाकर पंचनामा बनाया गया है । पटवारी रिर्पोट भी ली गई है और स्थल निरीक्षण में मौके पर पाई गई स्थिति को देखते हुए प्रतिवेदन दिया गया है । उन्होंने यह भी पाया है कि जांच अधिकारी द्वारा विधिवत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल राजस्व अभिलेख से मिलान किया जो सही नहीं पाया गया है । प्रकरण में विचारण न्यायालय ने यह पाया है कि मौके पर पूर्व रास्ता या परंपरा रास्ता रहा हो इसका कोई प्रमाण नहीं है । प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपर आयुक्त ने विचार न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है । अपर आयुक्त का आदेश आख्यापक और विवेचनापूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों के संबंध में समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर